5. 2247 04/08/2025 (श्री उमंग सिंघार

[4/8/2025]

म.प्र. निजी विश्वविद्याल मक I, भोपाल

प्रश्न सं. [क्र. 2215]

M.P. PRIVATE UNIVERSITY Y COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

1242/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग/2024

दिनांक 22/6/24

आदेश

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36 (10)(ख), (ड़) एवं यथा संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 7(तीन)(झ) के अनुसार म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल को निजी विश्वविद्यालयो की शुल्क नियतन को अवधारित किये जाने के अधिकार प्राप्त है।

अधिनियम 2007 में दिए गए प्रावधान निम्नानुसार है –

अधिनियम 2007 की धारा 36 (10)(ख) :–

यह सुनिश्चित करें कि निजी विश्वविद्यालय केवल उतनी फीस और अन्य प्रभार संग्रहीत करें जो उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को पूरा कर सके और युक्तियुक्त अधिशेष राशि भी प्रदान करें जिसका उपयोग वे आस्तियों के संधारण और विस्तार करने में कर सके।

अधिनियम 2007 की धारा 36 (10)(ड़) :–

यह सुनिश्चित करें कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों का शोषण न हो और उनसे असम्यक् या अत्याधिक फीस संग्रहीत करने के लिए अनैतिक तरीके न अपनाएं जाए।

संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 7(तीन)(झ) :–

वह, यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विनियामक परिषदों या विनियामक आयोग के मानकों, दिशा–निर्देशों के अनुसार, यदि कोई हों, प्रवेश प्रक्रिया एवं फीस नियतन को अवधारित करेगा।

प्रावधानातंर्गत प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचना के समीक्षित/नियतन के अवधारण हेतु म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शुल्क समीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1	**डॉ. एच.बी.गुप्ता, प्राध्यापक, शा. उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल**	**अध्यक्ष**
2	**डॉ. एस.एस. श्रीवास्तव, प्राध्यापक, शा. उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल**	**सदस्य**
3	**श्री सरदार रणदीप सिंह, सी.ए., प्रथम तल, बैंक ऑफ बड़ौदा, गुरूनानक चौक, शहडोल।**	**सदस्य**
4	**श्री अर्पित राय, सी.ए., 154 रचना नगर, भोपाल।**	**सदस्य**
5	**श्री पीयूष चतर, सी.ए., ई 7–173 अरेरा कॉलोनी, भोपाल।**	**सदस्य**

नोट :–

1. शुल्क समीक्षा को अवधारित करने से पूर्व समिति के प्रत्येक सदस्य को संबंधित निजी विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से (आर्थिक, पारिवारिक) संबंध न होने का No Conflict Interest आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
2. समिति का कोरम पूर्ण होने पर सदस्यों की अनुपस्थिति का निर्णय पर प्रभाव नहीं होगा।
3. समिति द्वारा निजी विश्वविद्यालय के अभिलेखों की गोपनीयता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जावेगा।

अवर सचिव
म.प्र. शासन
उच्च शिक्षा विभाग

4 समिति प्रस्तावित शुल्क के नियतन की अवधारणा की प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम में संबंधित निजी विश्वविद्यालय से कोई भी वांछित जानकारी, दस्तावेज आयोग के माध्यम से ही प्राप्त कर सकेगी। समिति या उसका कोई भी सदस्य निजी विश्वविद्यालय से पृथक से संपर्क नहीं करेगा।

5 समिति शीघ्र-अतिशीघ्र निर्धारित समय सीमा अनुसार अधिकतम 45 दिवस में कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेगी। आवश्यकता होने पर समयावधि बढ़ाई भी जा सकती है।

6. अध्यक्ष एव समिति के सदस्यों को नियमानुसार बैठक फीस तथा यात्रा भत्ता भुगतान किया जायेगा।

22.08.24

(प्रो. भरत शरण सिंह)
अध्यक्ष
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक........../फीस/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024 भोपाल, दिनांक...../...../2024

प्रतिलिपि-

1. सचिव, म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल।
2. डॉ. एच.बी.गुप्ता, प्राध्यापक, शा. उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल।
3. डॉ. एस.एस. श्रीवास्तव, प्राध्यापक, शा. उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल।
4. श्री सरदार रणदीप सिंह, सी.ए., प्रथम तल, बैक ऑफ बडौदा, गुरूनानक चौक, शहडोल।
5. श्री अर्पित राय, सी.ए., 154 रचना नगर, भोपाल।
6. श्री पीयूष चतर, सी.ए., ई 7-173 अरेरा कॉलोनी, भोपाल।
7. लेखा शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल।
8. छात्रवृत्ति शाखा/आई.टी., म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल।

अध्यक्ष
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

अवर सचिव
म.प्र. शासन
उच्च शिक्षा विभाग